

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत मुकाम

..... बनाम

किरम मुकदमा नम्बर वर्ष

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------------	-----------------------------------	---

19/6/17 पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उपास्थित P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 04/01/24 को पेश हो।

4/11/17 पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उपा. I.P.O सा. दौर पर हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 29/11/17 को पेश हो।

29/11 पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उपास्थित P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 25/12/25 को पेश हो।

25.02
2025


पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उपा. अज्ञात सं. 1 व 2 की ओर से पूर्व में पेश जसाब 7, 2 को अभिलेख पर लिखा जाता है। उत्तिवादीगण सं. 03 व 4 की तामील पूर्व में सम्यक रूप से होकर लोटी है। वाकजूद सम्यक तामील इक्त उत्तिवादीगण की ओर से कोई भी हाजिर अदालत नहीं आया है। अतः उत्तिवादीगण सं. 03 व 4 के विवह एक पक्षीय न्यायवाही अदालत में लाई जाती है। आन्पत्र टी. 0. 0. 0. से संबंधित मूल वादपत्र में आज जयसिक डिक्ली जारी की गई है। विवादीत पक्षकारत के हक - अधिकांश

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नंबर
ज
वर्ष

का निर्धारण मूल वादपत्र में गुणावगुण के माध्यम
पर किया जाता है। अतः अ. प्र. सी. सी. में
तादीकाने फैसल द्वारा उक्त पत्रकारान को
पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी
ख. नं. 174 ता 176, 123, 124 तम उक्त
प्रारण प. ह. द्याल का नांगल रहसिल नामकायना
के राजस्व रिफरि एवं मोंक की यन्थास्थिति
बनाये हैं। पत्रावली फैसल श्रावत होकर नकार
से कम ही तथा वाद तन्गील दाखिल फरत
है। निर्णय खले न्यायालय में सुनाया गया।


राजवीर सिंह यादव
अपखण्ड न्यायाधीश
नामकायाना (लोकत)